न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	तारीख दायर	तारीख आदेश
1/188	25.10.2024	22.08.2025

बउनवान

01. नलनीस पुत्र स्व. बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बीजवाड तहसील मालाखेडा जिला अलवर
02. मुकेश कुमार पुत्र स्व. मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी बीजवाड तहसील मालाखेडा जिला अलवर
03. सुरेन्द्र पुत्र स्व. मुरारीलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बीजवाड तहसील मालाखेडा जिला अलवर
04. रामोतार पुत्र स्व. रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बीजवाड तहसील मालाखेडा जिला अलवर
05. महेश पुत्र स्व. रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बीजवाड तहसील मालाखेडा जिला अलवर

वादीगण

बनाम

01. कैलाश चन्द पुत्र स्व. रामजीलाल, जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बीजवाड तहसील मालखेडा जिला अलवर राज0
02. विशम्भर दयाल पुत्र स्व. रामजीलाल, जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बीजवाड तहसील मालखेडा जिला अलवर राज0
03. ललिता पुत्री स्व. रामजीलाल, जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बीजवाड तहसील मालखेडा जिला अलवर राज0
04. हेमचन्द पुत्र स्व. रामजीलाल, जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बीजवाड तहसील मालखेडा जिला अलवर राज0
05. तहसीलदार मालाखेडा/उप पंजीयक मालाखेडा जिला अलवर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151सी.पी.सी.

निर्णय

प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा राजस्व वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कृषि भूमि आराजी हाल खसरा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

नम्बर 1753 रकबा 0.44 हैक्टेयर वाके ग्राम बीजवाड तहसील मालाखेडा की बाबत् पेश किया गया है। जिसके साबिक खसरा नम्बर 707 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा है। उक्त आराजी को प्रार्थीगण की माताजी श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 21.07.1980 को मूल खातेदार रामचन्दर पुत्र मोहनलाल से खरीद की गयी थी तथा वक्त खरीद से प्रार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण की माताजी लक्ष्मी देवी के स्वर्गवास पश्चात् इन्तकाल प्रार्थीगण के नाम दर्ज हो चुका है तथा प्रार्थीगण उक्त आराजी के रिकॉर्डेड व काबिज खातेदार है। कानूनन धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद खातेदार काश्तकार द्वारा ही पेश किया जा सकता है। उक्त आराजी को अप्रार्थीगण (वादीगण) से किसी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार नही हैं तथा प्रार्थीगण द्वारा मंनगंढत तथ्यों पर वादी बिना किसी कानूनी प्रावधान के पेश किया गया है। उक्त आराजी का कुछ भाग राज्यमार्ग संख्या 44 मालाखेडा से नटनी का बारा में राज्य सरकार द्वारा अवाप्त किया गया हैं तथा उक्त अवाप्त शुद्वा भूमि का मुआवजा राशि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण के बैंक खाते में जमा करवायी गयी है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 उपखण्ड (क)–वाद हेतुक उत्पन्न नही होने के आधार पर वादीगण का वाद चलने योग्य नही हैं क्योंकि प्रार्थीगण दिनांक 21.07.1980 से आज दिनांक तक उक्त आराजी का बेरोक टोक उपयोग उपभोग व काश्त करते चजे आ रहे है व रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीगण का वाद अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 के उपखण्ड (घ) के तहत विधि विरूद्व होने के कारण खारिज योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम –11 'क' व 'घ' सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत स्वीकार किया जाकर वादपत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थीगण (वादीगण) द्वारा पेश किया गया कि प्रतिवादीगण की माता श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा दिनांक 21.07.1980 को स्व0 रामचन्द्र पुत्र मोहनलाल से उक्त विवादित जायदाद खरीद नही की गयी थी बल्कि धोखे से श्रीमती लक्ष्मी देवी व प्रार्थीगण के पिता स्व0 रामजीलाल द्वारा बयनामा करवाया गया था तथा विवादित आराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनो ही काबिज है। श्रीमती लक्ष्मी देवी के स्वर्गवास पश्चात प्रार्थीगण द्वारा साजबाज तरीके से विवादित आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवा लिया है। जिसके विरूद्व अप्रार्थीगण द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अपील दायर की गयी है। प्रार्थीगण का कथन गलत है कि अप्रार्थीगण को मौजूदा वाद दायर करने के लिए हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है तथा वाद विधि विरूद्व है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व वाद केवल खातेदार ही ला सकता है अपितु स्थायी निषेधाज्ञा का दावा किसी के द्वारा भी लाया जा सकता है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में अतिरिक्त कथन दर्ज किये गयें कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार व खानदान के व्यक्ति है व ग्राम बीजवाड नरूका के स्थायी निवासी है। उक्त आराजी के वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व0 रामचन्द्र का पूर्ण रूप से कब्जा काश्त था, जिनके जीवनकाल में उनके सात पुत्र मौजूद थे। स्व0 रामचन्द्र के सबसे बडे लडके स्व0 रामजीलाल थे, जिन्होने अपने सभी छोटे भाईयो का हक व अधिकार समाप्त करते हुए उक्त विवादित आराजी को अपने पिता से अपनी धर्मपत्नी स्व0 लक्ष्मी देवी के नाम वर्ष 1980 में एक रजिस्टर्ड बयनामा धोखे से करा लिया । उक्त विवादित आराजी के स्व0 रामचन्द्र के सभी सातों पुत्र बराबर के हिस्सेदार व खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

है तथा संयुक्त रूप से सभी का कब्जा चला आ रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान वाकुलाय की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादपत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

01. माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0) अपील संख्या 37/2025 उनवान कैलाश बनाम नलनीश निर्णय दिनांक 13.05.2025
02. माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालाखेडा दीवानी वाद संख्या 238/68/24 उनवान महेश चन्द बनाम कैलाश चन्द निर्णय दिनांक–11.12.2024
03. माननीय सिविल न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–4 अलवर राज0 दीवानी नियमित अपील संख्या 01/2025 (सीआईएस संख्या 42/2025) CNR-RJAL010000672025 उनवान नलनीश बनाम कैलाश चन्द, निर्णय दिनांक 25.02.2025
04. माननीय राजस्व मण्डल अपील संख्या 204/Alwar of 72, उनवान रामस्वरूप बनाम भंवर सिंह निर्णय दिनांक–22.04.1975
05. माननीय राजस्व मण्डल अपील संख्या 48/Alwar of 86, उनवान रामजीलाल बनाम राज0 सरकार निर्णय दिनांक–21.10.1986

अप्रार्थीगण वकील द्वारा बहस मे अपने जवाब में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 विधि व तथ्यों पर आधारित है तथा बिना वादीगण को साक्ष्य का अवसर दिये वादपत्र खारिज नहीं किया जावें। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावें।

विधि के संबंध में आदेश 07 नियम 11 का विवरण इस प्रकार है कि :–

11. वादपत्र का नामंजूर किया जाना :–

(क) जहां वह वाद –हेतुक प्रकट नहीं करता है,

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है,

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया है।

(घ) जहां वादपत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

(ड) जहां यह दो प्रतियों में फाइल नही किया जाता है,

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने मे असफल रहता है

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9159/2003 उनवान M/s. Kusum Ingots & Alloys Ltd. Vs. Union of India anr. में दिनांक 28.04.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश–07 नियम 11 के उपबन्ध–अ के तहत वाद हेतुक प्रकटीकरण के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है :–

Cause of action:

Cause of action implies a right to sue. The material focts which are imperative for the suitor to allege and prove constitutes the cause of action. Cause of action is not defined in any statute. It

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

has however, been judicially interpreted inter alia to mean that every fact which would be mecessary for the plantiff to prove, if traversed, in order to support his right to the judgment of the court. Negatively put,it would mean that everything which, if not proved, gives the defendant an immediate right to judgement, would be part of cause of action. Its importance is beyond any doubt. For every action, there has to be a cause of action, if not, the plaint or the writ petition, as the case may be, shall be rejected summarily."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 3460/2000 उनवान Popat and Kotecha Property Vs. state bank of India staff association में दिनांक 29.08.2005 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश–07 नियम 11 के उपबन्ध–डी के तहत विधि द्वारा वर्जित के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है :–

"Clause(d) of order 7 rule 7 speaks of suit,as appears from the statement in the plaint to be barred by any law. Disputed questions cannot be decided at the time of considering an application filed under order 7 rule 11 CPC. Clause(d) of rule 11 of order 7 applies in those cases only where the statement made by the plantiff in the plaint, without any doubt or dispute shows that the suit is barred by any law in force."

उक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र के अभिकथनों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादपत्र में वादीगण का वाद हेतुक यह है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 1753 रकबा 44 ऐयर वाके ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा वादीगण व प्रतिवादीगण के बुजुर्ग स्व0 मोहनलाल एवं स्व0 रामचन्द्र की पुश्तैनी आराजी है, जिसे प्रतिवादीगण के पिता स्व0 रामजीलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र द्वारा अपने अनुज़ों का हक समाप्त करते हुए अपने पिता से अपनी धर्मपत्नी स्व0 लक्ष्मी देवी के नाम रजिस्टर्ड बयनामा करा इंतकाल खुला लिया, जो अभी प्रतिवादीगण के नाम चला आ रहा है। अतः वादीगण का विवादित आराजी पर संयुक्त पुश्तैनी अधिकार व संयुक्त कब्जा होने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराने के अधिकारी है।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त आराजी को प्रार्थीगण की माताजी लक्ष्मी देवी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 21.07.1980 को मूल खातेदार रामचन्द्र पुत्र मोहनलाल से खरीद होना बताया है तथा उक्त दिनांक से प्रार्थीगण का जरिये इंतकाल रिकॉर्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार होना अंकित किया है। प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र मे आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज करने का मुख्य आधार उपबंध–अ'' वाद हेतुक उत्पन्न न होना'' तथा उपबन्द–घ'' वाद विधि द्वारा वर्जित होना'' वर्णित किया है कि कानूनन धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद खातेदार काश्तकार द्वारा ही पेश किया जा सकता है।

अधिकारी

धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार–अवैध बेदखली के विरूध व्यादेश– (1) कोई आसामी जिसके भूमि क्षेत्र या भूमि क्षेत्र के हिस्से पर उसके अधिकार अथवा उपभोग पर भूमिधारी या अन्य व्यक्ति द्वारा आक्रमण किया जाता है या आक्रमण की धमकी दी जाती है, चिरस्थायी व्यादेश की मंजूरी के निमित्त वाद प्रस्तुत कर सकता है। (2) न्यायालय आवश्यक जांच करने के पश्चात निम्नलिखित दशाओं में चिरस्थायी व्यादेश जारी कर सकता है, अर्थात–

(क) यदि आक्रमण से हुई वास्तविक क्षति होने वाली सम्भावित क्षति के निश्चयन के लिए कोई प्रमाण नहीं है।

(ख) यदि आक्रमण ऐसा हैं जिसके लिए आर्थिक मुआवजा पर्याप्त परितोष नही है,

(ग) जहां बहुत सम्भावना यह हो कि आक्रमण के लिए आर्थिक मुआवजा प्राप्त नही हो सकता है,

(घ) जहां व्यादेश कार्यवाहियो की बहुलता को रोकने के लिए आवश्यक हो।

माननीय राजस्व मण्डल, अपील संख्या 204/Alwar of 72, उनवान रामस्वरूप बनाम भंवर सिंह, निर्णय दिनांक 22.04.1975 के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण यहां आवश्यक है–

"Raj Tenancy Act, sec 188-Scope-Section, applicable only when a suit bought by a tenant, suit on possessory titles are outside scope of R.T. act- person bringing suit must be a tenant- even if a person is in possession, he cannot succeed without proving that he was in possession as a tenant."

इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल, अपील संख्या 48/Alwar of 86, उनवान रामजीलाल बनाम राज. राज्य, निर्णय दिनांक 21.10.1986 के प्रासंगिक पैरा का विवरण इस प्रकार है कि –"It is an admitted fact that the allotments made in favour of the appellants were concelled by the add. Collector on 31.12.76. There is nothing on record to show that the orders of cancellation have been sat aside by a competent superior court or that the orders passed by the add. Collector had been stayed by such superior court. Both before the first appellate court and before us here in the second appeals it was contended on behalf of the appellants that revisions against the cancellation of the allotments made were pending. We repeatedly questioned the learned counsel for the appellants to let us have proof as regards pendency of revisions but to not avail. At one stage learned counsel for the appellants contended that the Board of Revenue had issued orders staying execution of the the orders passed by the addl. Collector, Alwar cancelling the allotments made to the appellants. When we asked him to produce certified copies or

उपखण्ड अधिकारी

even give us the case numbers of the revisions pending before the Board the learned counsel for the appellants expressed his inability to do so. When the suits were filed by the appellants they had already been dispossessed of the lands allotted to them and they were no more tenants of the suit lands. Relief for permanent injunction u/s 188 of the act cannot be sought by any person who is not a tenant. On 13.12.77 when the suits were filed, the appellants were no more tenants in the light of what we have stated above and so the Asst. Collector, Behror had no competence to pass an order granting permanent injunction against the defendant respondents."

उक्त न्यायिक नजीरों से स्पष्ट है कि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा केवल एक खातेदार काश्तकार द्वारा ही पेश किया जा सकता है तथा वादीगण ना तो विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है और न ही काबिज है। वादीगण द्वारा विवादित आराजी पर संयुक्त पुश्तैनी अधिकार व संयुक्त कब्जा होना बताकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अनुतोष चाहा है, वादीगण द्वारा संयुक्त पुश्तैनी अधिकार की घोषणा हेतु घोषणात्मक दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे विवादित आराजी पर वादीगण के निहित अधिकारों की पुष्टि हो सकें।

अतः सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र क्लॉज अ– वाद हेतुक उत्पन्न ना होने तथा क्लॉज 'डी' विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर खारिज किया जाता है।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक–22.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)